न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह यादव
आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या 163/2021

उनवान

1. कमरू पुत्र सुभान उम्र 55 साल जाति मणियार निवासी पाटन।

.....प्रार्थी.....

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना।

.....अप्रार्थी.....

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री देश बन्धु शर्मा वकील प्रार्थी।

निर्णय दिनांकः– 27.09-2023

संक्षेप में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 884 कबा 0.38 है. ग्राम पाटन की खातेदारी वर्तमान में कमरू व प्रार्थी के भाई फतेह हम्मद, शंकूर पुत्रगण सुभान जाति मनियार के कब्जे काश्त खातेदारी की जमीन ी है। उक्त भूमि के पुराने ख0न0 525/1 दर्ज रहे है तभी से प्रार्थी व प्रार्थी के ई नजरी नक्शा में वर्णित ए स्थान पर काबिज काश्त रहा है तथा भूमि की सुरक्षार्थ र दिवारी का निर्माण काफी समय पूर्व सें करवाया हुआ है तथा भूमि का उपयोग पभोग करते आ रहे है। नवीन सैटलमेन्ट में प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों की खातेदारी मे पुराना ख.न. 525/1 रकबा 0.38 हैक्ट. का नया नम्बर 884 रकबा 0.38 हैक्ट. गयम कर दिया गया किन्तु नवीन सैटलमेन्ट नक्शा में ख0न0 884 की तरमीम पुराने ब्जे व मौका स्थिति अनुसार नही कर सहवन से नजरी नक्शा के मार्के बी स्थान पर लत कर दी तथा प्रार्थी खातेदार के कब्जा के स्थान पर खसरा नम्बर 915/3 की

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

तरमीम कर दी गई जो अशुद्व है। ख.न. 884 की तरमीम पुराने कब्जा मौका अनुसार दुरूस्त करने के लिये प्रार्थी ने दिनांक 18.02.2021 को अप्रार्थी को आवेदन किया किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही हुई तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में विधिक प्रकिया अपनाये जाने हेतु निर्देशित किया। नवीन सैटलमेंट के दौरान विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके की व कब्जे बाबत वास्तविक जॉच किये बिना भूमि ख.न. 884 रकबा 0.38 है. की नवीन राजस्व नक्शा में अशुद्व तरमीम की गई उसे शुद्व किया जाना न्यायोचित व प्राथनीय है। उक्त अशुद्वि की प्रार्थी को जानकारी होने पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निर्धारित न्याय शुल्क पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को आदेशित फरमाया जावें कि प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 884 रकबा 0.38 हैक्ट. ग्राम पाटन के वर्तमान राजस्व नक्शा में खातेदारान के मौका कब्जा अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थी के जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं तहसीलदार से प्रकरण तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई एवं बहस वकील प्रार्थी सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों का दौहरान करते हुये बयान किया कि भूमि ख.न. 884 पुराने ख.न. 525/1 रकबा 0.38 है. ग्राम पाटन हमारे पिता को आवंटित हुई थी। पूर्व में हमारे पिता व उनके फौत होने पर मै व मेरा भाई फतेहमोहम्मद व शंकूर काश्त करते आ रहे है। मौके पर चार दिवारी बना रखी है। आवंटन के समय भूमि की तरमीम नही की कई। नवीन सैटलमेन्ट के समय हमारे कब्जे के विपरीत गलत जगह तरमीम कर दी गई। जहां हमारा कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा। वहां मौके पर पहाड़ है। पटवारी जी व तहसीलदार जी ने भी मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की है। जिससे मेरा प्रार्थना पत्र साबित होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती के आदेश दिये जावें।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

बहस वकील प्रार्थी सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार पाटन का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वंत 2075 से 2078 अनुसार राजस्व ग्राम पाटन के भूमि खसरा नम्बर 884 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी 3 की खातेदारी कमरू पुत्र सुभान हि. 1/3, फतेहमोहम्मद पुत्र सुभान हि. 1/3, शकूर पुत्र सुभान हि. 1/3 जाति मनियार सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार पाटन से जाहिर है कि खसरा नम्बर 884 की खातेदारी प्रार्थी के पिता सुभान पुत्र छोटू को जरिये अलॉटमेंन्ट ना0क0 संख्या 392 दिनांक 25.04.81 द्वारा प्राप्त हुई है। वर्तमान राजस्व नक्शें में जहां भूमि ख.न. 884 को दर्शा रखा है वहां पर प्रार्थी का अलॉटमेंन्ट ने लेकर अब तक कोई कब्जा काश्त नही है तथा मौके पर पहाड़ है। प्रार्थी का ख0न0 915/3 रकबा 3.7960 है. में से 0.38 हेक्ट. (सिवाय चक) भूमि पर कब्जा है उसे नक्शे में लाल स्याही से अंकित कर रखा है। वरवक्त आवंटन आवंटित भूमि की तरमीम नही करने एवं नवीन भू–प्रबन्ध में उक्त ख.न. 884 रकबा 0.38 है. की गलत तरमीम की गई है जो मौके व रिकार्ड के विपरीत है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह पूर्णत्या सिद्व होता है कि वरवक्त आवंटन आवंटित भूमि पुराना ख.न. 525/1 रकबा 0.38 है. नये ख0न0 884 रकबा 0.38 है. की तरमीम नही होने एवं नवीन सैटलमेन्ट के समय बिना कब्जे काश्त की जांच किये कब्जे के विपरीत तरमीम हुई है। जहां वर्तमान में प्रार्थी व उसके भाईयों का कब्जा काश्त है वह भूमि सिवाय चक दर्ज है एवं जहां ख.न. 884 की तरमीम हुई है वह मौके पर पहाड़ है जिस पर प्रार्थी के कब्जा काश्त के काई निशानात भी नही पाये गये है। प्रार्थी की तरमीम दुरूस्त की जाती है तो सिवाय चक भूमि की भी तरमीम दुरूस्त होती है। जिसमें किसी प्रकार की कोई राजकीय हानि भी नही होती है अतः तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत काबिले दुरूस्ती पाये जाने से स्वीकार किया

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

जाता है। तथा तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पाटन के भूमि ख0न0 884 रकबा 0.38 है0 किस्म बारानी 3 की तरमीम प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट–1 में ख0न0 915/3 में लाल स्याही से दर्शाये गये स्थान पर की जावें एवं जहां पर ख.न. 884 रकबा 0.38 है. की तरमीम की हुई है उसे सिवाय चक दर्ज कि जाकर रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्ती करें। तद्वानुसार पालना हेतु तहसीलदार, पाटन को निर्णय व नक्शा परिशिष्ट – 1 की प्रति तहरीर के साथ भेजी जावें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)